भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं.4390**
30.03.2022 को उत्तर देने के लिए

## कर्नाटक में अवसंरचना परियोजनाएं

4390. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:
डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में सरकार द्वारा शुरू की गई अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है:
(ख) कर्नाटक में अवसंरचना परियोजनाओं पर जारी हाल की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक में परियोजनाओं के प्रभावी निष्पादन के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) राज्य में अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए जा रहे हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]**

(क) यह मंत्रालय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) पर प्रदान की गई सूचना पर आधारित 150 करोड़ रुपए और इससे ऊपर की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं की अनिवार्य रूप से निगरानी करता है । अवसंरचना परियोजनाओं की सूचना ओसीएमएस पर राज्य-वार उपलब्ध है और विगत तीन वर्षों के दौरान परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ओसीएमएस पर जोड़े गए कर्नाटक राज्य के 150 करोड़ रूपए और उससे अधिक की लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न है ।

(ख) परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा http://www.cspm.gov.in/english/flr/FR_feb_2022.pdf पर फरवरी, 2022 की फ्लैश रिपोर्ट में उपलब्ध हैं ।

(ग) परियोजनाओं के प्रभावी निष्पादन के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित निगरानी तंत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइम्ली इम्प्लीमेंटेशन (**प्रगति)** के अंतर्गत परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा; कड़ी परियोजना मूल्यांकन; बेहतर निगरानी के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस); मंत्रालयों में संशोधित लागत समिति का गठन; संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और मुख्य परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करने और त्वरित कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए मुख्य सचिवों के अंतर्गत राज्यों में केंद्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सीएसपीसीसी) का गठन शामिल है।

(घ) परियोजनाओं के प्रभावी और तीव्र कार्यान्वयन तथा अवसंरचना परियोजनाओं में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

(i) परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करना,
(ii) निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि,
(iii) क्षेत्रीय स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन,
(iv) विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की कड़ी निगरानी,
(v) भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव मंजूरी आदि में शीघ्रता लाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखना ।

*****

**अनुलग्नक-I**

**दिनांक 30.03.2022 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4390 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

| ओसीएमएस पर कर्नाटक में वर्ष-वार जोड़ी गई परियोजनाएं | | |
|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **वर्ष** | **जोड़ी गई परियोजनाओं की संख्या** |
| 1 | 2018-19 | 04 |
| 2 | 2019-20 | 02 |
| 3 | 2020-21 | 03 |